संख्या-11/2018/2313/22-2-2017-17(601)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मखदूम पुत्र भल्लर निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3 (एम-22.06.2017) दिनांक 07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मखदूम पुत्र भल्लर, जो ग्राम- सुढियामऊ, थाना- रामनगर, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। बन्दी ने 04-05 माह पूर्व हुई डकैती की घटना में मृतक मुन्ना को पुलिस में गवाही देने से रोका तथा उसके विरूद्ध लूट का झूठा मुकदमा लिखाया। पार्टी बन्दी में दिनांक 18-11-1975 को दिन में लगभग 3.00 बजे अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व विंड पाइप से मुन्ना नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-18/1976 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0- 02, बाराबंकी के आदेश दिनांक 22.12.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.04.2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.04.2017 तक 14 वर्ष 11 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 08 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने 04-05 माह पूर्व हुई डकैती की घटना में मृतक मुन्ना को पुलिस में गवाही देने से रोका तथा उसके विरूद्ध लूट का झूठा मुकदमा लिखाया। पार्टी बन्दी में दिनांक 18-11-1975 को दिन में लगभग 3.00 बजे अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व विंड पाइप से मुन्ना नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मखदूम पुत्र भल्लर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मखदूम (बन्दी संख्या-41738) पुत्र भल्लर निवासी जनपद-बाराबंकी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2018/2313(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-11/2018/2313/22-2-2017-17(601)/2017

दिनांक 04 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मखदूम पुत्र भल्लर, जो ग्राम- सुढियामऊ, थाना- रामनगर, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। बन्दी ने 04-05 माह पूर्व हुई डकैती की घटना में मृतक मुन्ना को पुलिस में गवाही देने से रोका तथा उसके विरूद्ध लूट का झूठा मुकदमा लिखाया। पार्टी बन्दी में दिनांक 18-11-1975 को दिन में लगभग 3.00 बजे अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व विंड पाइप से मुन्ना नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-18/1976 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, बाराबंकी के आदेश दिनांक 22.12.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.04.2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.04.2017 तक 14 वर्ष 11 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 08 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने 04-05 माह पूर्व हुई डकैती की घटना में मृतक मुन्ना को पुलिस में गवाही देने से रोका तथा उसके विरूद्ध लूट का झूठा मुकदमा लिखाया। पार्टी बन्दी में दिनांक 18-11-1975 को दिन में लगभग 3.00 बजे अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व विंड पाइप से मुन्ना नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मखदूम पुत्र भल्लर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in